ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

र्थना–पत्र संख्या :10/2024 दायर दिनांकः 09.07.2024

SCMS NO:- 2024/240 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

हजारीलाल आ मोती जाति गुर्जर नि0 मुण्डली तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामनारायण आ0 उंकार जाति मीणा नि0 मुण्डली तहसील नैनवॉ।
2. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार मीणा।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विमल कुमार साहू।

निर्णय दिनांक 26.6.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मुण्डली तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 452/311 रकबा 0.4045 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी की आधिपत्य की भूमि है। यह कि उक्त भूमि मे जाने का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 रामनारायण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 283 से आना जाना कर रहे है तथा वहीं से होकर हमेशा से निकलते आ रहे है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे पहुंचते है। यह रास्ता अर्वाचीन है जो पीढीयों से चला आ रहा है। उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह रास्ता 12 फीट चौडा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि प्रत्यार्थी की भूमि से लगवा ही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए खसरा नम्बर 283 की भूमि जो कि प्रत्यार्थी की भूमि है, मे से होकर रास्ता लेना चाहता है जो अनुकुल भी है तथा उसके लिए प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर राशि भी जमा करवाने के लिए तैयार है। यह कि प्रत्यार्थी के मन मे बदयान्ती आ गयी जिसके कारण वह उक्त भूमि के रास्ते को अवरूद्व करने पर आमादा हो रहा है तथा रास्ते मे तारबंदी कर रहा है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विमल कूमार साहू द्वारा वकालातनामा मय इकबाली जवाव पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक प्रार्थना स्वीकार फरमाने बाबत् निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

बहस सूनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मुण्डली मे प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 452/311 पर पहुंचने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 283 मे से पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी मेर से लगते हुए जहां से श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा भी रास्ता प्रस्तावित कर न्यायालय मे पेश किया गया है, दिया जावे तो कोई आपत्ती नही होगी।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट् का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 283 मे से रास्ता चाहा गया है, उस खेत मे खातेदार द्वारा जरिये अधिवक्ता कोई आपत्ती नही होने बाबत् इकबाली जवाब पेश किया हुआ है तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट भी इसी आशय से प्राप्त हुई है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 452/311 मे पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 283 मे से पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी मेर से लगते हुए रास्ता दिया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2025 के अनुसार ग्राम मुण्डली

स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 452/311 पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 283 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः—

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x	चौडाई	क्षेत्रफल
283	रामनारायण (खातेदारी)	बंजड	184.8 फूट	x	15 फूट	2772 वर्गफूट

अर्थात 0.0257 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 2772 वर्गफीट या 0.0257 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा

ग्राम :- मूण्डली पं० स० भण्डेड़ा भू०अ० निरीक्षक बाँसी तहसील नैनवाँ जिला - बूँदी

BhuNaksha 283

BhuNaksha

Online Users: 122

Online Visitors: 3699

Login

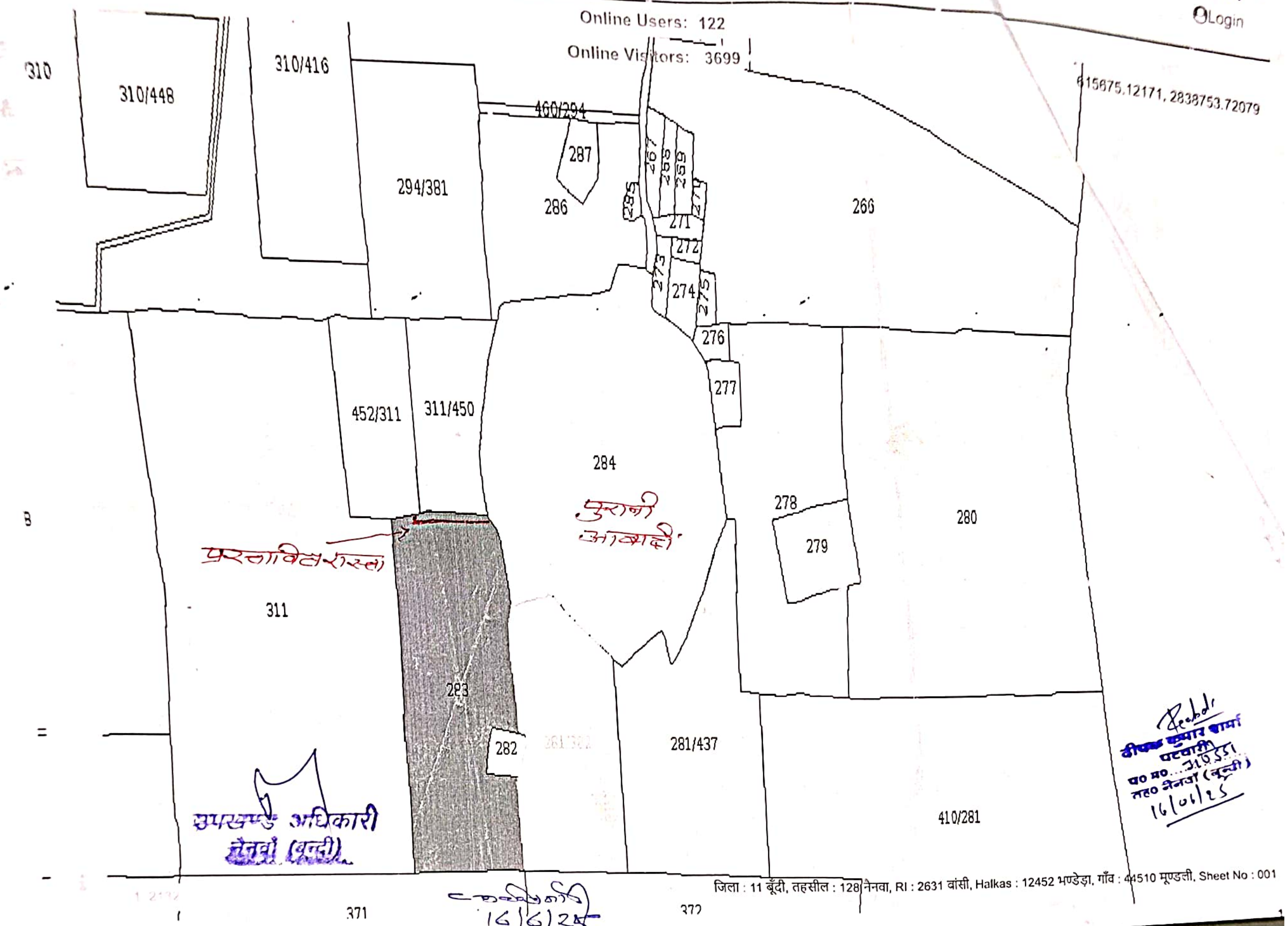

https://bhunaksha.rajasthan.gov.in/Viewmap/